संख्या-87/2016/433/71-1-2016-जी-263/2015

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 30 मार्च, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के सरोजनी नायडू बाल चिकित्सालय हेतु प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2015-16/711, दिनॉक 01-02-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के सरोजनी नायडू बाल चिकित्सालय हेतु प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा आकलित लागत रू0 24,91,93,000/- (रू0 चौबीस करोड़ इक्यानबे लाख तिरानबे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत 24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 9,96,77,000/- (रू0 नौ करोड़ छियानबे लाख सत्तहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष् प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

2- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

3- प्रायोजना के कार्यान्वयन हेतु महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय तथा इसी समिति की देखरेख में उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य कराए जाए। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक की होगी।

4- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

5- वित्त बजट-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 30-03-2015 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जाएगा। आगणन में वर्णित एक प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा। नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

7- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

8- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य यथा-लिफ्ट, चेयर एवं स्पिलिट ए0सी0 आदि बाट आउट कार्यो की लागत/स्थापना हेतु बजटरी आफर/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गई है। इसके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करे। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी का कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत- निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

9- प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियॉ एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा बाद में विचार नहीं किया जायेगा।

10- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन की जा रही है कि इस परियोजना पर आगामी वित्तीय स्वीकृति तभी प्रदान की जाएगी, जब इस धनराशि एवं पूर्व स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-40-मेडिकल कालेज, इलाहाबाद-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-493/दस-2016, दिनॉक 30 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(संजय कुमार उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

संख्या:- 87/2016/ 433(1)/71-1-2016 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
6- मुख्य अभियन्ता, यू0पी0 स्टेट कान्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (यूपीसिडको) (पूर्ववर्ती उ0प्र0 समाज कल्याण निगम लि0) विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7- नियोजन-अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।